

सच के साथ, आपके साथ

ज्ञानेश कुमार पर इतना विरोध क्यों?

SIR, वोटर लिस्ट और इस्तीफे की मांग
की पूरी कहानी

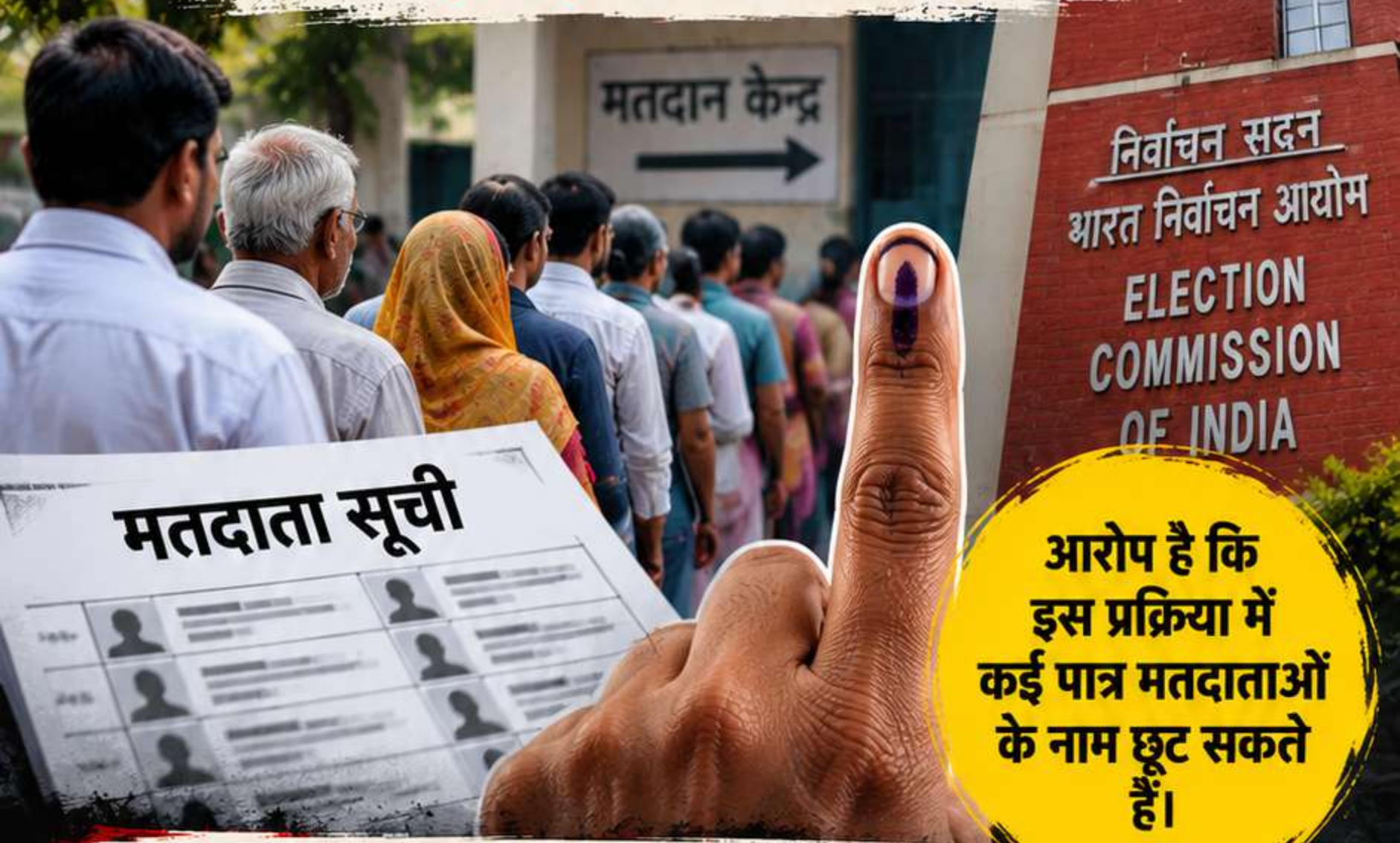


विवाद की शुरुआत से अब तक

सच के साथ, आपके साथ

विवाद की जड़ क्या है?

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण
(SIR) को लेकर सवाल



आरोप है कि
इस प्रक्रिया में
कई पात्र मतदाताओं
के नाम छूट सकते
हैं।



क्या है SIR?

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision)। इसका मकसद सूची को अपडेट करना है।



आयोग का कहना है

पात्र मतदाताओं को शामिल करना, मृत, डुप्लीकेट या अपात्र नाम हटाना और सूची को अधिक सटीक बनाना है।



विवाद क्यों?

विपक्ष का आरोप है कि SIR की प्रक्रिया और दस्तावेज़ी शर्तों की वजह से वास्तविक और पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हट सकते हैं।

सच के साथ, आपके साथ

SIR आखिर है क्या?

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की पूरी समझ आसान भाषा में



SIR का पूरा नाम

Special Intensive Revision (SIR)
मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण।



मुख्य उद्देश्य

मतदाता सूची को अपडेट करना, ताकि सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल हों और अपात्र या डुप्लीकेट नाम हटाए जाएं।

किन-किन नामों की जांच?

- ✓ नए मतदाताओं को जोड़ना
- ✓ मृत मतदाताओं के नाम हटाना
- ✓ डुप्लीकेट नामों की पहचान
- ✓ एक से अधिक जगह दर्ज नाम हटाना
- ✓ पता बदलने की जानकारी अपडेट
- ✓ गलत या अपात्र प्रविष्टियां हटाना



यह प्रक्रिया कैसे होती है?

1



घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा की जाती है।

2



मतदाताओं से फॉर्म भरे जाते हैं (जैसे फॉर्म-6)।

3



दस्तावेजों और पुराने रिकॉर्ड की जांच होती है।

4



सूची से अपात्र, मृत और डुप्लीकेट नाम हटाए जाते हैं।

5



अंतिम अपडेटेड मतदाता सूची तैयार की जाती है।

📢 चुनाव आयोग का कहना है

“ यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए की जाती है। ”

सच के साथ, आपके साथ

फॉर्म-6 से विवाद कैसे बढ़ा?

नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 में हुए बदलाव को लेकर उठे गंभीर सवाल



1 फॉर्म-6 क्या है?



यह वह आवेदन फॉर्म है, जिसके जरिए नए मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए आवेदन करते हैं।

2 क्या बदलाव किया गया?



रिपोर्टों के मुताबिक, फॉर्म-6 में SIR से जुड़े अतिरिक्त घोषणा-पत्र/जानकारी मांगी जाने लगी, जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ।

3 विपक्ष को आपत्ति क्यों?



विपक्ष का आरोप है कि इन अतिरिक्त शर्तों से कई पात्र मतदाताओं के लिए नाम दर्ज कराना मुश्किल हो सकता है।

4 चुनाव आयोग का पक्ष



चुनाव आयोग का कहना है कि यह बदलाव मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं।

5 आयोग के भीतर भी उठे सवाल?

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दो चुनाव आयुक्तों ने फॉर्म-6 में किए गए बदलाव की प्रक्रिया और समय को लेकर आपत्ति जताई थी, जिससे विवाद और गहरा गया। आयोग का कहना है कि सभी फैसले संस्थागत प्रक्रिया के तहत और सर्वसम्मति से लिए गए।



सच के साथ, आपके साथ

विपक्ष ने क्या आरोप लगाए?

वोटर लिस्ट, SIR और फॉर्म-6 को लेकर विपक्ष के गंभीर सवाल



“वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग जवाब दे।
राहुल गांधी, कांग्रेस

“पारदर्शिता नहीं है, जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
प्रियंका गांधी, कांग्रेस

“बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश है।
अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी

 बिना पर्याप्त जानकारी के मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस

 SIR की प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण है और इसका इस्तोमल वोट बैंक के लिए किया जा रहा है।
उद्धव ठाकरे, शिवसेना (UBT)

 बंगाल सहित कई राज्यों में इस प्रक्रिया से आम मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है।
ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस

 बड़ी संख्या में गरीब, वंचित और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम सूची से हटाने का खतरा है।
तेजस्वी यादव, राजद

 यह प्रक्रिया सामाजिक न्याय और समान मताधिकार के सिद्धांत के खिलाफ है।
डी. राजा, CPI

 चुनाव आयोग पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप गंभीर है।
सीताराम वेचुरी (उद्धरण), CPI(M)

विपक्ष की प्रमुख मांगें

- ➔ ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
- ➔ SIR और फॉर्म-6 में बदलाव वापस लिया जाए
- ➔ मतदाता सूची से हटाए गए नामों की पूरी जानकारी
- ➔ स्वतंत्र जांच और संसद में चर्चा



सच के साथ, आपके साथ

विपक्ष की मुख्य मांगें क्या हैं?

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR की प्रक्रिया की जांच की मांग



1



ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा

विपक्षी दलों की सबसे बड़ी मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा दें। उनका आरोप है कि उन्होंने निष्पक्षता खो दी है।



2



SIR की स्वतंत्र जांच

विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया की सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराई जाए।



3



छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ना

विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। वे सभी छूटे हुए मतदाताओं के नाम वापस जोड़ने की मांग कर रहे हैं।



4



EC की जवाबदेही तय करना

विपक्ष चाहता है कि चुनाव आयोग के हालिया निर्णयों, फॉर्म-6 में बदलाव और मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर आयोग की जवाबदेही तय हो।



5



निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया

विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए।



सच के साथ, आपके साथ

सड़क पर क्यों उतरे विपक्षी सांसद?

चुनाव आयोग तक मार्च, बैरिकेडिंग,
हिरासत और दिल्ली में **सियासी घमासान**



1 चुनाव आयोग तक मार्च



6 अक्टूबर को INDIA ब्लॉक के सांसदों ने चुनाव आयोग मुख्यालय तक पैदल मार्च किया।

2 भारी बैरिकेडिंग



दिल्ली पुलिस ने रास्ते में कई जगह बैरिकेडिंग की और सांसदों को निर्वाचन सदन तक पहुंचने से रोका।

3 पुलिस से झड़प, हिरासत



मार्च के दौरान कई विपक्षी नेताओं और सांसदों को हिरासत में लिया गया।

4 कई बड़े नेता शामिल



राहुल गांधी
कांग्रेस



प्रियंका गांधी
कांग्रेस



अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी



मलिकार्जुन खड़गे
कांग्रेस

5 काले बिल्ले के साथ प्रदर्शन



कई सांसद काले बिल्ले लगाकर पहुंचे और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया।

6 दिल्ली में सुरक्षा कड़ी



प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई और कुछ मेट्रो सेवाओं पर भी असर पड़ा।



“ हम लोकतंत्र और वोट के अधिकार की रक्षा के लिए यह लड़ाई जारी रखेंगे। — राहुल गांधी, कांग्रेस

सच के साथ, आपके साथ

CJP का प्रदर्शन क्यों चर्चा में है?

काँकरोच जनता पार्टी से लेकर युवा प्रदर्शनकारियों तक, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज



1 CJP है कौन?



काँकरोच जनता पार्टी (CJP) एक राजनीतिक समूह है, जो हाल के महीनों में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर मुखर हुआ है।

2 प्रदर्शन की वजह



CJP का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।

3 ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग



CJP और उसके समर्थकों का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए।

4 दिल्ली में प्रदर्शन



6 अक्टूबर को CJP नेताओं और युवा प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर मार्च किया।

5 पुलिस कार्रवाई



प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और बैरिकेडिंग के जरिए उन्हें आगे बढ़ने से रोका।

6 बड़ा मुद्दा क्यों बना?



CJP के प्रदर्शन ने विपक्षी दलों के आंदोलन को और मजबूती दी और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर देशभर में नई बहस छेड़ दी है।

“



यह लड़ाई सिर्फ किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि मतदाता अधिकार और निष्पक्ष चुनाव के लिए है।

— अभिजीत दिंपके, संस्थापक, CJP

सच के साथ, आपके साथ

10 अक्टूबर: CJP के प्रदर्शन पर दिल्ली में सख्ती



1 CJP ने किया प्रदर्शन का आह्वान



काँकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया था।

2 जंतर-मंतर तक पहुंच रोक दी गई



दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों में कड़े बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को वहां तक पहुंचने से रोक दिया।

3 मेट्रो स्टेशन बंद, ट्रेनें रद्द/प्रभावित



10 अक्टूबर को दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया। विभिन्न रूटों पर ट्रेन सेवाएं रद्द या गंभीर रूप से प्रभावित रहीं।

4 मोबाइल इंटरनेट पर रोक



मध्य दिल्ली के कई निर्धारित क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जिससे संचार पर असर पड़ा।

5 कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया



अभिजीत दिपके (CJP नेता), नेहा बोरा (AISA), ध्रुव राठी (यूट्यूबर) CJP नेता अभिजीत दिपके, AISA की नेहा बोरा, यूट्यूबर ध्रुव राठी समेत कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया।

6 हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या



विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान **हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया।** इनमें CJP के नेता, छात्र, कार्यकर्ता और अन्य नागरिक शामिल थे।

सच के साथ, आपके साथ

ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग का पक्ष

SIR पर आयोग ने क्या कहा?
इस्तीफे की मांग पर क्या है जवाब?



ज्ञानेश कुमार
मुख्य चुनाव आयुक्त

1 सर्वसम्मत मंजूरी से आदेश



आयोग ने कहा कि SIR का आदेश चुनाव आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी हुआ था। यह किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं है।

2 उद्देश्य: पात्र मतदाताओं को जोड़ना



आयोग का कहना है कि SIR का मुख्य उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ना और सूची को अधिक सटीक और अद्यतन करना है।

3 प्रक्रिया में सुधार के उपाय



आयोग ने कहा कि प्रक्रिया को और पारदर्शी और सरल बनाने के लिए कई सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

4 कानून के तहत नियमित प्रक्रिया



चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR कानून के प्रावधानों के तहत एक नियमित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।

5 इस्तीफे की मांग पर जवाब



ज्ञानेश कुमार ने अपने इस्तीफे की मांग को राजनीतिक बताया है और कहा हैं कि आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करता रहेगा।

6 सभी पक्षों से सहयोग की अपील



आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे प्रक्रिया में सहयोग करें और मतदाता सूची से जुड़े किसी भी सुझाव को औपचारिक रूप से साझा करें।

“ SIR का आदेश चुनाव आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी हुआ था। हमारा उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना है और प्रक्रिया में सुधार के उपाय भी किए जा रहे हैं।

— **ज्ञानेश कुमार**
मुख्य चुनाव आयुक्त

सच के साथ, आपके साथ

BJP का जवाब क्या है?

**विपक्ष के आरोप खारिज, कहा-
यह राजनीतिक प्रदर्शन, संस्थाओं पर दबाव की कौशिश**



1 आरोपों को खारिज किया



बीजेपी ने विपक्ष के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए सिरे से खारिज किया।

2 राजनीतिक प्रदर्शन बताया



पार्टी नेताओं ने कहा कि यह प्रदर्शन पूरी तरह राजनीतिक है, जिसका उद्देश्य मुद्दों को लेकर राजनीतिक लाभ लेना है।

3 संस्थाओं पर दबाव की कौशिश



बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।

4 SIR को बताया जरूरी कदम



बीजेपी का कहना है कि SIR मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाने के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है।

5 लोकतंत्र पर भरोसा जताया



पार्टी का कहना है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और सभी राजनीतिक दल अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखें।

6 जनता विकास चाहती है



बीजेपी नेताओं ने कहा कि जनता का ध्यान विकास, रोजगार और जनकल्याण के मुद्दों पर है, न कि अनावश्यक विवादों पर।

“ विपक्ष का यह प्रदर्शन राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है। संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।

— भाजपा नेता (स्रोत: मीडिया बयान)



सच के साथ, आपके साथ

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

ज्ञानेश कुमार को अंतरिम रूप से निलंबित करने की मांग पर तुरंत राहत नहीं, केंद्र और आयोग से जवाब तलब



1 याचिका में क्या मांग?



राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अंतरिम रूप से निलंबित करने की मांग की।

2 कोर्ट ने तुरंत राहत नहीं दी



सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को अंतरिम रूप से निलंबित करने की मांग पर तत्काल कोई राहत नहीं दी।

3 केंद्र और आयोग से जवाब मांगा



कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

4 अगली सुनवाई कब?



सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है, जिसमें केंद्र और चुनाव आयोग अपने जवाब पेश करेंगे।

5 याचारकर्ता की दलील



राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि SIR और मतदाता सूची से जुड़े मामलों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठते हैं।

6 आगे क्या होगा?



अब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के जवाब के बाद भी मामले की आगे सुनवाई होगी और तभी आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।



“हमारी प्रक्रिया कानून के अनुसार और पूरी तरह पारदर्शी है। पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और सुधार के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

— ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त



सच के साथ, आपके साथ

क्या चुनाव आयोग के भीतर भी मतभेद थे?

मीडिया रिपोर्टों में दो चुनाव आयुक्तों की आपत्ति का जिक्र, आयोग का जवाब- यह **संस्थागत विचार-विमर्श** का हिस्सा



1 क्या कहा गया?



कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि दो चुनाव आयुक्तों ने आयोग के कुछ फैसलों पर आपत्ति जताई थी।

2 किस मुद्दे पर आपत्ति?



रिपोर्टों में कहा गया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सहित कुछ प्रक्रियागत फैसलों पर असहमति जताई गई थी।

3 किन दो आयुक्तों का जिक्र?



मीडिया रिपोर्टों में आयोग के दो चुनाव आयुक्तों के नाम का जिक्र किया गया है, जिन्होंने कुछ मुद्दों पर भिन्न राय रखी थी।

4 आयोग का जवाब



चुनाव आयोग ने कहा कि अलग-अलग राय संस्थागत विचार-विमर्श का हिस्सा हैं। आयोग का कहना है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

5 मतभेद पर आयोग की सफाई



आयोग ने कहा कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले विस्तृत चर्चा होती है और विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना इसकी सामान्य प्रक्रिया है।

6 इसका मतलब क्या?



आयोग के अनुसार, संस्थागत प्रक्रिया में विभिन्न राय सामने आना स्वाभाविक है, लेकिन अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से ही लिए गए हैं।

“ अलग-अलग राय संस्थागत विचार-विमर्श का हिस्सा हैं और आयोग के फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

— ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त



सच के साथ, आपके साथ

आम मतदाता के लिए इसका क्या मतलब है?

सबसे अहम सवाल – **पात्र मतदाता** का नाम सूची में बना रहे, छूटे हुए नाम **जुड़वाने** के लिए आवेदन और सहायता उपलब्ध



1 नाम सूची में बना रहे



सबसे अहम है कि पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में बना रहे और किसी तकनीकी कारण से न छूटे।

2 छूटे हुए नाम कैसे जुड़ेंगे?



आयोग ने कहा है कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, वे आवेदन करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

3 आवेदन की सुविधाएँ



ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

4 सहायता केंद्र और हेल्पलाइन



आयोग ने जिला और स्थानीय स्तर पर सहायता केंद्र, हेल्पलाइन और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की बात कही है।

5 दस्तावेज तैयार रखें



मतदाताओं को सलाह दी गई है कि पहचान, पता और अन्य जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि आवेदन प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके।

6 आपका अधिकार, आपकी आवाज़



यदि आपका नाम सूची में नहीं है या कोई गलती है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करके सुधार का अधिकार आपके पास है।

“ पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और प्रक्रिया में सुधार के लिए आवेदन करने तथा सहायता उपलब्ध कराने के उपाय किए जा रहे हैं।

— ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त

सच के साथ, आपके साथ

अब आगे क्या होगा?

विवाद का अगला चरण **अदालत में जवाब, चुनाव आयोग की प्रक्रिया** और **मतदाता सूची** से जुड़े दावों की जांच पर निर्भर करेगा



1 अदालत में आगे की सुनवाई



सुप्रीम कोर्ट ने अभी तत्काल कोई राहत नहीं दी है और केंद्र तथा चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अब आगे की सुनवाई में दोनों पक्षों के जवाब पर अदालत आगे का निर्णय लेगी।

2 चुनाव आयोग की प्रक्रिया जारी



चुनाव आयोग ने कहा है कि SIR की प्रक्रिया जारी रहेगी। पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और प्रक्रिया में सुधार के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

3 मतदाता सूची से जुड़े दावों की जांच



विपक्ष द्वारा उठाए गए दावों, छूटे हुए नामों और अनियमितताओं के आरोपों की जांच चुनाव आयोग और जरूरत पड़ने पर अदालत की निगरानी में आगे बढ़ सकती है।

4 राजनीतिक असर जारी रहेगा



यह मुद्दा संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रहेगा। विपक्ष आंदोलन जारी रख सकता है, जबकि बीजेपी इसे राजनीतिक प्रदर्शन करार दे रही है।

5 मतदाताओं को क्या करना चाहिए



मतदाता अपने नाम की स्थिति की जांच करें। यदि नाम सूची में नहीं है या कोई गलती है, तो आयोग द्वारा बताई गई प्रक्रिया के तहत आवेदन करें और सहायता केंद्रों से मदद लें।

6 निष्कर्ष से पहले सावधानी जरूरी



इस पूरे विवाद पर कोई अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले आधिकारिक रिकॉर्ड, चुनाव आयोग के जवाब और अदालत की आगे की कार्यवाही का इंतजार करना जरूरी है।



“ यह प्रक्रिया कानूनी और संस्थागत तरीके से आगे बढ़ेगी। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न छूटे और आवश्यक सुधार किए जाएं।

— ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त